(99)

150
(52)

प्रपत्र "ओ"

वि ज्ञ प्ति

सं.(वन) एफ ७(३२५) रा.व.६० — दिनांक २८-१०-६०

राज्य सरकार ने विज्ञप्ति संख्या एफ १६ (२०) एग्रा ५५ दिनांक ६-११-५५ द्वारा संलग्न अनुसूची में अंकित वन-खण्ड बड़ा माला रेन्ज किशनगढ़ डिवीजन अजमेर को राजस्थान वन अधिनियम, १९५३ की धारा २९ के अन्तर्गत रक्षित वन घोषित करते हुये तथा उस पर उक्त अधिनियम के अध्याय ४ के अनुबन्ध लागू करते हुए उसमें सरकार और प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकार व अनुदानों के प्रकार तथा सीमा की जांच और उनका अभिलेखन करने के लिये वन बन्दोबस्त अधिकारी, जयपुर को नियुक्त किया था कि जो कार्य उक्त विज्ञप्ति के अनुसरण में किया जा चुका है।

अत: इस वन-खण्ड का सीमा विवरण (परिशिष्ट (अ) अधिकारों व अनुदानों की सूची (परिशिष्ट अ व स) सहित सर्व साधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,
Sd/-
शासन सचिव।

- भूमि का विवरण -

जिला	तहसील	वन-खण्ड	मौजा	अनुमानित क्षेत्रफल	सीमा विवरण
अजमेर	किशनगढ़	बड़ा माला	[illegible] किशनगढ़	[illegible] 1/10 एकड़	सीमा विवरण का परिशिष्ट 'ब' में अंकित है।
			सिलोरा	[illegible] ..	
			मेवाड़ की ढाणी	[illegible] ..	
			योग:-	[illegible] एकड़	

(सुनील)
उप वन संरक्षक
अजमेर

Forest Settlement Officer,
JAIPUR.

प्रकाश त्यागी